

संदर्भ सं. रा.बैं.डॉर/ 541/ एलटी नीति-9/ 2023-24 परिपत्र सं. 163/ डॉर - 33/ 2023 31 जुलाई 2023

प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - प्राथमिक शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक

वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों हेतु दीर्घाविध पुनर्वित्त के परिचालन दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न हैं. प्रा.श.स. बैंक के पुनर्वित्त आवेदन नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में विचारार्थ प्रस्तुत किए जा सकते हैं.

- 2. ये दिशानिर्देश नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org के 'सूचना केंद्र' टैब में भी उपलब्ध हैं.
- 3. कृपया पावती दें.

Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for FY2023-24 -Primary Urban Cooperative Banks (PUCBs)

The operational guidelines for LT Refinance for the year 2023-24 for Primary Urban Cooperative Banks is enclosed. The refinance applications of Primary Urban Cooperative Banks may be submitted to the concerned NABARD, Regional Office for consideration.

- 2. These guidelines are also available on NABARD website <u>www.nabard.org</u> under the tab information Centre.
- 3. Please acknowledge receipt.

भवदीय

(विवेक कृष्ण सिन्हा) मुख्य महाप्रबंधक

ada Kirel

संलग्न: 17 पृष्ठ

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 • टेलि. : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department Of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel. : 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org





मुख्य प्रलेख/ MAIN DOCUMENT

प्रलेख शीर्षक/ Document Title	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - प्राथमिक शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक Operational Guidelines for Schematic	
	Lending under Long Term Refinance for F.Y 2023-24 - Primary Urban Cooperative Banks	
मसौदा तैयार किया गया (विभाग)/	पुनर्वित्त विभाग	
Drafted By (Dept.)	Department of Refinance	
तिथि/	31 जुलाई 2023	
Date	31 July 2023	
प्रलेख वर्गीकरण (आंतरिक/बाह्य)/	बाह्य	
Document Classification (I/E)	External	
प्रलेख संख्या/ संस्करण संख्या/	संस्करण 4.0 (2023-24)	
Document No./ Version No.	Version 4.0 (2023-24)	

संस्करण का इतिहास/ Version History

संस्करण	वित्तीय	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	वर्ष/	Changes/Comments	परिवर्तित/
Version	FY		Changed
No.			by
1.0	2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण	पुनर्वित्त विभाग
		के लिए पुनर्वित्त नीति: प्राथमिक शहरी सहकारी	Department
		(प्रा.श.स.) बैंक	of Refinance
		Refinance Policy for Schematic Lending for	
		F.Y. 2020-21: Primary Urban Cooperative	
		Banks	~~~
2.0	2021-22	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण वितरण	पुनर्वित्त विभाग
		के लिए पुनर्वित्त नीति: प्राथमिक शहरी सहकारी	Department
		(प्रा.श.स.) बैंक	of Refinance
		Refinance Policy for Schematic Lending for	
		F.Y. 2021-22: Primary Urban Cooperative	
		Banks	
3.0	2022-23	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के	पुनर्वित्त विभाग
		अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन	Department
		दिशानिर्देश - प्राथमिक शहरी सहकारी (प्रा.श.स.)	of Refinance
		बैंक	
		Operational Guidelines for Schematic	
		Lending under Long Term Refinance for	





		F.Y 2022-23 - Primary Urban Cooperative Banks	_
4.0	2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश - प्राथमिक शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक Operational Guidelines for Schematic Lending under Long Term Refinance for F.Y 2023-24 - Primary Urban Cooperative Banks	पुनर्वित्त विभाग Department of Refinance

संस्करण का अनुमोदन/ Version Approval

संस्करण	अनुमोदन की	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	तिथि।	Changes/Comments	अनुमोदित/
Version	Date of		Approved
No.	Approval		by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण	अध्यक्ष/
		वितरण के लिए पुनर्वित्त नीति: प्राथमिक	Chairman
		शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Refinance Policy for Schematic	
		Lending for F.Y. 2020-21: Primary	
		Urban Cooperative Banks	
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण	अध्यक्ष/
		वितर्ण के लिए पुनर्वित्त नीतिः प्राथमिक	Chairman
		शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Refinance Policy for Schematic	
		Lending for F.Y. 2021-22: Primary	
25 25		Urban Cooperative Banks	2507705/
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त	अध्यक्ष/
		के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु	Chairman
		परिचालन दिशानिर्देश - प्राथमिक शहरी	
		सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Operational Guidelines for	
		Schematic Lending under Long	
		Term Refinance for F.Y 2022-23 - Primary Urban Cooperative Banks	
4.0	28.07.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घाविध	अध्यक्ष/
7.0	20.0/.2023	पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण	Chairman
		वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश -	
		प्राथमिक शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Operational Guidelines for	
		Schematic Lending under Long	





Term Refinance for F.Y 2023-24 -	
Primary Urban Cooperative Banks	

संदर्भ/ References

संस्करण	अनुमोदन की	परिवर्तन/ टिप्पणियाँ /	द्वारा
संख्या/	तिथि/	Changes/Comments	अनुमोदित/
Version	Date of	3 /	Approved
No.	Approval		by
1.0	13.04.2020	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण	अध्यक्ष/
		वितरण के लिए पुनर्वित्तं नीतिः प्राथमिक	Chairman
		शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Refinance Policy for Schematic	
		Lending for F.Y. 2020-21 : Primary	
		Urban Cooperative Banks	
2.0	07.04.2021	वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनाबद्ध ऋण	अध्यक्ष/
		वितर्ण के लिए पुनर्वित्त नीतिः प्राथमिक	Chairman
		शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Refinance Policy for Schematic	
		Lending for F.Y. 2021-22: Primary	
		Urban Cooperative Banks	2507705/
3.0	19.04.2022	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त	अध्यक्ष/
		के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण वितरण हेतु	Chairman
		परिचालन दिशानिर्देश - प्राथमिक शहरी	
		सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Operational Guidelines for	
		Schematic Lending under Long Term Refinance for F.Y 2022-23 -	
		Primary Urban Cooperative Banks	
4.0	28.07.2023	वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दीर्घाविध	अध्यक्ष/
		पुनर्वित्त के अंतर्गत योजनाबद्ध ऋण	Chairman
		वितरण हेतु परिचालन दिशानिर्देश -	
		प्राथमिक शहरी सहकारी (प्रा.श.स.) बैंक	
		Operational Guidelines for	
		Schematic Lending under Long	
		Term Refinance for F.Y 2023-24 -	
		Primary Urban Cooperative Banks	, ⁹





वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए योजनाबद्ध ऋण वितरण - परिचालन दिशानिर्देश Schematic Lending for FY 2023-24 - Operational Guidelines

प्रस्तावना 1. Introduction

नाबार्ड प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में पात्र गतिविधियों के लिए ऋण सहायता प्रदान करने हेत् पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है.

NABARD provides refinance to Primary Urban Cooperative Banks to extend credit support to eligible activities in the agriculture and rural development sector.

2. उद्देश्य **Objectives**

दीर्घावधि पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

The objectives of providing long-term refinance are as under:

- क) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में पूँजी निर्माण के लिए सहायता देना. Supporting capital formation in agriculture and allied activities.
- ख) भारत सरकार और नाबार्ड की बल क्षेत्र की गतिविधियों के संवर्धन हेतु ऋण प्रवाह को दिशा देना. Directing the flow of credit for the promotion of thrust activities of GoI and NABARD.
- ग) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना.
 - Meeting the credit requirement of JLGs and SHGs.
- घ) कृषीतर क्षेत्र की गतिविधियों (जैसे एमएसएमई, ग्रामीण आवासन और वाणिज्यिक वाहन) को सहायता देना.
 - Support for Off-farm sector activities such as MSME, Rural Housing & CV.
- ङ) जलवायु अनुकूलन और शमन की परियोजनाओं को सहायता देना. Support for Climate Adaptation and Mitigation projects

www.nabard.org

- च) भारत सरकार की ऋण से जुड़ी ऐसी पूँजी सब्सिडी योजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता जिनकी सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से दी जाती है.
 - Support for credit linked capital subsidy schemes of GoI, whose subsidy is channelized through NABARD.

सहायता का स्वरूप 3. **Nature of Accommodation**

बैंकों को विभिन्न प्रयोजनों हेतु संवितरण के समक्ष पुनर्वित्त सहायता निम्नलिखित दो प्रकार से प्रदान की जाती है:





Refinance assistance is provided against disbursements, for various purposes under the following two windows:

3.1 पूर्व-मंजूरी Pre-Sanction

पूर्व मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को नाबार्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करके पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं. नाबार्ड इन परियोजनाओं की तकनीकी साध्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और बैंक योग्यता का निर्धारण करने हेतु उचित मूल्यांकन के बाद पुनर्वित्त मंजूर करेगा.

Primary Urban Cooperative Banks can avail refinance under the pre-sanction procedure by submitting Detailed Project Reports for the approval of NABARD. NABARD shall sanction the refinance after due appraisal to determine the project's technical feasibility, financial viability, and bankability.

3.2 स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़) Automatic Refinance Facility (ARF)

स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) एजेंसियों द्वारा पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना अपने स्तर पर प्रस्तावों का मूल्यांकन के पश्चात् उधारकर्ता का वित्तपोषण करके नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है. इसके बाद वे आहरण आवेदन के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त का दावा कर सकते हैं, जिसमें ऋण संवितरण के बाद विभिन्न उद्देश्यों को इंगित करते हुए पुनर्वित्त का दावा किया गया हो. ऐसे मामलों में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की मंजूरी और संवितरण एक साथ किया जाता है. कृषि क्षेत्र (एफएस) और कृषीतर क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की पात्र परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय परिव्यय, बैंक ऋण अथवा पुनर्वित्त की प्रमात्रा की किसी उच्चतम सीमा के बिना स्वचालित पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है.

Automatic Refinance Facility (ARF) enables the agencies to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the pre-sanction process by appraising the proposals on their own and financing the borrower. They may then claim refinance from NABARD based on a drawal application, indicating the various purposes for which refinance is being claimed, after the loan is disbursed. In such cases, the sanction and disbursement of refinance are attended to simultaneously by NABARD. Automatic Refinance Facility is extended without any upper ceiling of Total Financial Outlay, Bank Loan or Quantum of Refinance, for all eligible projects under Farm Sector (FS) and Off-Farm Sector.

4. पात्रता मानदंड Eligibility criteria





पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए वे प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक पात्र होंगे जो "वित्तीय रूप से सशक्त और सुप्रबंधित" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:

Eligibility criteria for drawal of refinance is reviewed from time to time. PUCBs which satisfy the following conditions prescribed by RBI, for being classified as "financially sound and well managed" will be eligible to draw refinance from NABARD:

- सीआरएआर 10% से अधिक हो. क. CRAR of more than 10%.
- पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/ दिशानिर्देशों के उल्लंघन के ख कारण बैंक पर कोई मौद्रिक जुर्माना नहीं लगाया हो.

No monetary penalty should have been imposed on the bank on account of violation of RBI directives/ guidelines during the last two financial years.

- निवल अनर्जक आस्तियां 3% से ज्यादा ना हो. ग. Net NPAs not more than 3%.
- बैंक अनुसूचित हो. घ. Should be a scheduled bank.
- बोर्ड में कम से कम दो व्यावसायिक निदेशकों के साथ सुदृढ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली. ङ. Sound internal control systems with at least two professional directors on the Board.
- पिछले चार वर्ष (2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23) में से कम-से-कम तीन वर्ष 핍. में निवल लाभ अर्जित किया हो और पिछले वर्ष (2022-23) में निवल हानि में न हो. Net profit for at least three out of the preceding four years (3 financial years out of, 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23) subject to it not having incurred a net loss in the immediately preceding year (2022-23).
- पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात (सीआरआर) तथा/अथवा सांविधिक चलनिधि छ. अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखने में कोई चुक न की हो. No default in the maintenance of CRR and / or SLR during the preceding financial year.
- कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को पुरी तरह लागू कर दिया गया हो. ज. Core Banking Solution (CBS) fully implemented.

पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन Eligibility criteria and Risk Assessment:

www.nabard.org

01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के दौरान पात्रता मानदंड और जोखिम आकलन 31.03.2022 अथवा 31.03.2023 (यदि 31.03.2023 की लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध है) की स्थिति में बैंक की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. 01 जुलाई 2023 से 31 मार्च 2024 के लिए यह





आकलन 31.03.2023 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाएगा. 01 जुलाई 2023 या उससे बाद मंजुरी और आहरण की अनुमति उन्हीं बैंकों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी लेखापरीक्षा पूर्ण कर ली है.

Eligibility criteria and Risk Assessment during 01 April 2023 to 30 June 2023 will be based on the audited financial position as on 31.03.2022 or 31.03.2023 (if audited position as on 31.03.2023 is available). From 01 July 2023 to 31 March 2024, the same will be based on the audited financial position as on 31.03.2023. Sanction and drawals on or after 01 July 2023 will be permitted only to such banks, which have completed the audit.

31.03.2023 के बाद वित्तीय मापदंडों में कोई भी बदलाव चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथोचित प्रमाणीकरण के बाद प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थित के आधार पर पात्रता के लिए मान्य होगा.

Any change in the financial parameters after 31.03.2023 will be considered towards eligibility based on the financials of the PUCB after due certification by a Chartered Accountant.

ये पात्रता मानदंड सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित कृषि और कृषीतर - दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत पुनर्वित्त के आहरण पर लागू होंगे.

The eligibility norms will be applicable for drawal of refinance under both Farm and Off-Farm Sectors including Government Sponsored Schemes.

पात्र गतिविधियाँ 5. Eligible activities

- पात्र गतिविधियों की सूची अनुबंध में दी गई है. यह सूची केवल निदर्शी है, सम्पूर्ण नहीं. List of eligible activities are furnished in Annexure. The list is only illustrative and not exhaustive.
- उक्त सूची में जिन गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया गया है वे यदि कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन को सुगम बनाती हैं तो वे पुनर्वित्त सहायता के लिए पात्र हैं. आहरण आवेदन की तिथि की स्थिति में, प्रा.श.स. बैंक की बहियों में बकाया वे ऋण पुनर्वित्त के पात्र हैं जिनकी शेष बची परिपक्कता अवधि 18 माह से अधिक है.

Activities not mentioned above but which facilitate the promotion of agriculture and rural development are eligible for refinance assistance. Eligible loans outstanding in the books of the PUCB with residual maturity period of more than 18 months as on the date of drawal application are eligible for refinance.





नाबार्ड को अंतर्निहित आस्ति समूह प्रस्तुत करने से पहले पात्रता, खातों के दोहराव से बचने, अंतिम उपयोगकर्ता के केवाईसी, शेष बची हुई परिपक्वता अवधि, संवितरण की तारीख और ऋण की चुकौती आदि के संबंध में अंतर्निहित आस्ति समूह की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए.

Due diligence of the underlying asset pool as regards to eligibility, avoiding duplication of accounts, KYC of the end user, residual maturity, date of disbursement and repayment of the loan, etc. may be undertaken before submission of the pool to NABARD.

पुनर्वित्त की सीमा 6. **Extent of refinance**

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (असम्, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा), पर्वतीय क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ तथा नाबार्ड द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा सभी प्रयोजनों हेतु पात्र बैंक ऋण का 95% होगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी:

The extent of refinance for the States in North Eastern Region (Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura) including Sikkim, Hilly Region (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand), Eastern Region (West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands), Lakshadweep, Chhattisgarh and any other areas notified by NABARD will be 95% of eligible bank loans for all purposes. For Other Regions the extent of refinance shall be:

- अनुबंध में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी बल क्षेत्रों के लिए 95%; 95 % for all thrust areas as indicated in the Annexure;
- कृषक साथी योजना और निवेश ऋण हेतु अन्य सभी अनुमोदित प्रयोजनों के लिए 90%. 90% for all other approved purposes for investment credit and Krishak Sathi Yojana
- ब्याज दर 7. **Interest rate**
- पुनर्वित्त पर ब्याज 7.1 Interest on refinance:

नाबार्ड पुनर्वित्त की अवधि, वर्तमान बाजार दर, जोखिम अवधारणा आदि के आधार पर पुनर्वित्त की ब्याज दर का निर्धारण करेगा और यह समय-समय पर संशोधन के अधीन होगी. नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए जोखिम आकलन मॉड्यल के आधार पर सभी प्रा.श.स. बैंकों को 9 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. तदनुसार पुनर्वित्त पर ब्याज दर के अतिरिक्त निर्दिष्ट जोखिम प्रीमियम प्रभारित किया जाएगा.





The interest rates on refinance will be decided by NABARD based on tenor, prevailing market rate, risk perception etc. and is subject to revision from time to time. All PUCBs have been classified into 9 risk categories as per the risk assessment module devised by NABARD. A prescribed credit risk premium will accordingly be charged over and above the rate of interest on refinance.

टंडात्मक ब्याज 7.2 **Penal Charges:**

चूक की स्थिति में, चूक की अवधि के लिए चूक की राशि पर 2.00% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा.

In the event of default, penal charges of 2.00% p.a, will be charged on the defaulted amount for the period of default.

अवधि-पूर्व चुकौती के लिए सुविधा प्रभार 7.3 Pre-payment facilitation charges:

अवधि-पूर्व चुकौती की स्थिति में सुविधा प्रभार 2.50% प्रति वर्ष होगा. यह प्रभार अवधि-पूर्व चुकौती की तिथि से चुकौती की वास्तविक देय तिथि तक की पूर्ण अवधि हेतू प्रत्येक देय किस्त के लिए अलग-अलग प्रभारित किया जाएगा. न्यूनतम अवधि 6 माह होगी. न्यूनतम 3 कार्य दिवसों का नोटिस देने के बाद ही अवधि-पूर्व चुकौती शुरू किया जा सकता है. डिमांड नोटिस जारी होने के बाद किए गए चुकौती के लिए अवधि-पूर्व चुकौती सुविधा शुल्क नहीं लगाया जाएगा.

The pre-payment facilitation charges will be 2.50% p.a. and will be chargeable for each instalment due separately for the entire period from the date of pre-payment to the date on which the instalment is due for payment with a minimum period of o6 months. The prepayment can only be initiated after minimum notice of 3 working days. Prepayment facilitation charges will not be levied for payments made after issuance of demand notice.

चुकौती अवधि 8. **Repayment Period**

पुनर्वित्त के लिए चुकौती की अवधि 18 माह से अधिक हो सकती है. पुनर्वित्त के मुलधन और ब्याज की चुकौती तिमाही आधार पर की जाएगी जिसमें मुलधन की देय तिथि 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च होगी और ब्याज की देय तिथि 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल होगी. मूलधन की पहली देय तिथि पुनर्वित्त जारी होने के बाद की तिमाही होगी. अनुमोदित चुकौती अनुसूची मंजुरी पत्र (पत्रों) में निर्दिष्ट की जाएगी.

The tenor of the loan would be for periods of above 18 months. The due date for repayment of principal and interest will be quarterly with due dates for principal on 30 June, 30 Sep, 31 Dec and 31 March and due dates for interest on 1 July, 1





October, 1 January and 1 April. The first due date of principal would be the quarter following the release of refinance. The approved repayment schedule will be specified in the letter(s) of sanction.

प्रतिभूति 9. Security

प्रतिभृति मानदंड निम्नलिखित हैं:

The security norms are as under:

पुनर्वित्त के माध्यम से दिए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ मंजूरी पत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगी.

The security for loans and advances by way of refinance shall be such as may be specified by NABARD in the General Refinance Agreement (GRA)/Letter(s) of sanction.

साथ ही, बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके पास उसका चालू खाता होता है, से नाबार्ड के पक्ष में एक विधिवत अधिदेश प्राप्त करना होगा.

Besides, a Mandate in favour of NABARD will have to be duly obtained by the bank from RBI, where its current account is maintained.

बोर्ड संकल्प या बोर्ड की उप-समिति का संकल्प जिसमें प्रा.श.स. बैंक की उधार लेने की शक्तियाँ, नाबार्ड से उधार लेने का प्राधिकार, नमूना हस्ताक्षर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची और एक प्रमाण पत्र नाबार्ड को प्रस्तुत किया जाना है जो यह पुष्टि करता है कि नाबार्ड से प्राप्त मौजूदा उधार प्रा.श.स. बैंक की समग्र उधार सीमा के भीतर है.

Board resolution or the resolution of the sub-committee of the Board indicating the borrowing powers of the PUCB, authority to borrow from NABARD, authorised signatory list with specimen signatures and a certificate confirming that the current borrowing from NABARD is within the overall borrowing limit of the PUCB.

परियोजनाओं का पूर्व-लेखापरीक्षण, अनुप्रवर्तन तथा पर्यवेक्षण 10. Pre Audit, Monitoring and supervision of projects

10.1. नाबार्ड के पास लेखा बहियों और अन्य संबंधित सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से (उधार लेने वाली संस्था की लागत पर) करवाने का अधिकार होगा ताकि यह सनिश्चित किया जा सके कि बैंक की बहियों और अन्य संबंधित सामग्री का रख-रखाव प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है और बैंक द्वारा पुनर्वित्त के नियम और शर्तों का पालन किया जाता है.





NABARD will have the right to cause special audit of the books of accounts and other relevant material either by itself or through other agencies (at borrowing entity's cost) to ensure that same are maintained as per the rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

10.2. पुनर्वित्त के निबंधनों व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को स्थल पर सत्यापन/ स्वयं अपने अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा जाँच का अधिकार होगा.

NABARD would have the right to conduct spot verification / checks either by itself or through other agencies to ensure that the terms and conditions of refinance are adhered to.

10.3. लाभप्रदता, संग्रहण दक्षता और आस्ति गुणवत्ता पर एक प्रमाणपत्र तिमाही आधार पर शेयर किया जाना चाहिए.

A certificate for profitability, collection efficiency and asset quality should be shared on quarterly basis.

11. अन्य सभी मौजूदा निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी. All other existing terms and conditions will remain unchanged.







अनुबंध Annexure

विविध ऋण उत्पादों के तहत शामिल गतिविधियों की सूची LIST OF ACTIVITIES COVERED UNDER VARIOUS LOAN PRODUCTS

- दीर्घावधि पुनर्वित्त क. **Long Term Refinance**
- बल क्षेत्र 1.1 **Thrust Areas**

पुनर्वित्त को जारी करने में जिन बल क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी, उनमे शामिल हैं: Thrust areas for which preference will be given for release of refinance include:

भिम विकास, लघु और सुक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण और जल संरक्षण के संसाधन, मत्स्यपालन, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह/ रायतु मित्र समूह (आरएमजी), किसान उत्पादक संगठन, कृषि क्लिनिक और कृषि-व्यवसाय केंद्र, ग्रामीण आवासन, कृषि प्रसंस्करण, बंजर भूमि विकास, शुष्क भूमि कृषि, ठेका खेती, क्षेत्र विकास योजनाएँ, बागान और बागबानी, कृषि-वानिकी, बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन प्लांट उत्पादन, कृषि-विपणन आधारभूत संरचना (कोल्ड स्टोरेज़, गोदाम, बाजार केंद्र आदि सहित) कृषि औज़ार, गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके वाटरशेड और आदिवासी विकास कार्यक्रमों के इलाकों में वित्तपोषण.

Land development, minor & micro irrigation, water saving and water conservation devices, fisheries, animal husbandry, SHGs / JLGs/ Rythu Mithra Groups (RMGs), FPOs, agri-clinics and agri-business centres, rural housing, agro-processing, wasteland development, dryland farming, contract farming, area development schemes, plantation & horticulture, agro-forestry, seed production, tissue culture plant production, agri-marketing infrastructure (including cold storage, godowns, market yards etc.), agriculture implements, non-conventional energy sources, financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

- स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा के तहत शामिल गतिविधियाँ 1.2 **Activities covered under Automatic Refinance Facility**
- 1.2.1 कृषि क्षेत्र **Farm Sector**
 - भूमि विकास (i) Land development





(ii)	लघु और सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप सिंचाई
	Minor & micro irrigation, drip irrigation
(iii)	जल बचाव और जल संरक्षण उपकरण
	Water saving and water conservation devices
(iv)	डेयरी
	Dairy
(v)	मुर्गी पालन
	Poultry
(vi)	मधुमक्खी पालन
	Beekeeping
(vii)	रेशम उत्पादन
	Sericulture
(viii)	मत्स्यपालन
	Fisheries
(ix)	पशुपालन
	Animal husbandry
(x)	स्वयं सहायता समूहों/ संयुक्त देयता समूहों/ रायतु मित्र समूहों को दिए गए ऋण
	Loans to Self Help Groups / Joint Liability Groups / Rythu Mitra Groups
(xi)	शुष्क भूमि कृषि
	Dryland farming
(xii)	ठेका खेती
	Contract farming
(xiii)	बागान और बागवानी
	Plantation & horticulture
(xiv)	कृषि वानिकी
	Agro-forestry
(xv)	बीज उत्पादन
	Seed production
(xvi)	टिश्यू कल्चर प्लांट प्रोडक्शन
	Tissue culture plant production
(xvii)	कृषि और संबद्ध गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े कॉर्पोरेट किसानों, कृषक उत्पादक
	संगठनों, किसानों की एकल कंपनियों, साझेदारी फ़र्मों और किसानों की सहकारी
	संस्थाओं और कृषक सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹2 करोड़ की सीमा तक
	के ऋण
	Loans to corporate farmers, farmers' producer organizations/
	companies of individual farmers, partnership firms and co-operatives of
	farmers directly engaged in Agriculture and Allied Activities, up to an
	aggregate limit of ₹2 crore per borrower
(xviii)	कृषि उपकरण





Agriculture implements

नियंत्रित परिस्थितियों अर्थात पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस में उच्च मूल्य/ विदेशी प्रजातियों (xix)की सब्जियों कट फ्लावर्स का उतपादन

> Production of high value / exotic vegetables, cut flowers under controlled conditions i.e. poly house / green house,

> tissue culture labs, precision farming for enhancement of productivity in

सब्जियों और फलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशरूम, टिश्यू कल्चर लैब, प्रिसीज़न (xx)फ़ार्मिंग जैसे हाई टेक-निर्यातोन्मुख उत्पादन इकाईयों की स्थापना. Establishment of hi-tech export oriented production like mushroom,

vegetables and fruits.

1.2.2 अन्य गतिविधियाँ **Other Activities**

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के सुक्ष्म, लघ् (i) और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

MSME for both manufacturing and service, that creates employment in rural areas

कृषि क्लिनिक्स व कृषि व्यवसाय केन्द्र (ii) Agri-clinics and Agri-business centres

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित स्टार्ट-अप्स जो एमएसएमई, (iii) कृषि और संबद्ध सेवाओं में कार्यरत हैं.

Start-ups, as per definition of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in MSME, agriculture and allied services

ग्रामीण आवास (iv) Rural housing

वाणिज्यिक वाहन (v) Commercial Vehicles

कृषि प्रसंस्करण (vi) Agro-processing

मुदा संरक्षण और वाटरशेड विकास (vii)

Soil conservation and watershed development.

कृषि विपणन आधारभूत संरचना (शीत भंडारण, गोदाम, बाजार केंद्र, सिलोस आदि (viii) सहित) चाहे जहाँ भी स्थित हो

> Agri-marketing infrastructure (including cold storage, warehouse, godowns, market yards, silos etc.) irrespective of their location

> > / nabardonline

गैरपरंपरागत ऊर्जा स्रोत (ix) Non-conventional energy sources





पहले से ही कार्यान्वित किए गए वाटर शेड और जनजाति विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में (x)वित्तपोषण

> Financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

प्लांट टिश्यू कल्चर और कृषि जैव प्रौद्योगिकी, बीज उत्पादन, जैव कीटनाशक, जैव (xi) उर्वरक का उत्पादन और वर्मी कम्पोस्टिंग.

> Plant tissue culture and agri-biotechnology, seed production, production of bio-pesticides, bio-fertilizer, and vermi composting.

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े (xii) आकार की आदिवासी बहुउद्देशीय समितियों (एलएएमपीएस) का कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंक ऋण

> Bank loans to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), Farmers' Service Societies (FSS) and Large-sized Adivasi Multipurpose Societies (LAMPS) for on-lending to agriculture.

कृषि क्षेत्र में आगे ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं - सूक्ष्म वित्तीय (xiii) संस्थानों को मंजूर ऋण

> Loans sanctioned by banks to NBFC-MFIs for on-lending to agriculture sector

केवीआई (खादी ग्रामोद्योग) (xiv)

KVI (Khadi Village Industries)

www.nabard.org

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्यालय, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता की सुविधाएँ और अन्य (xv)सामाजिक आधारभृत सुविधाएँ

> Rural Schools, health care facility, drinking water facility, sanitation facility and other Social infrastructure in rural areas

नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर आधारित ऊर्जा जेनेरेटर. बायोमास आधारित ऊर्जा (xvi) जेनेरेटर, पवन चक्कियाँ, सुक्ष्म हाईडेल परियोजनाएँ और गैरपारंपरिक ऊर्जा आधारित सार्वजनिक जन सुविधाएँ जैसे सडक प्रकाश व्यवस्था और दूर दराज के गांवों का विद्युतीकरण

> Renewable energy like solar based power generators, biomass based power generators, wind mills, micro-hydel plants and for nonconventional energy based public utilities viz. street lighting systems, and remote village electrification

ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए एकल सौर कृषि पंपों की स्थापना; बंजर / (xvii) परती भूमि पर या किसान के स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर स्टिल्ट फैशन में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना

> Installation of stand-alone Solar Agriculture Pumps and for solarisation of grid connected Agriculture Pumps; installation of solar power plants on barren/fallow land or in stilt fashion on agriculture land owned by farmer.





(xviii) जैव ईंधन के उत्पादन के लिए तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण, उनके भंडारण और वितरण के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उद्यमियों को कोंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण

Construction of oil extraction/ processing units for production of biofuels, their storage and distribution infrastructure along with loans to entrepreneurs for setting up Compressed Bio Gas (CBG) plants

(xix) व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंधित कस्टम हायरिंग इकाइयाँ जो ट्रैक्टर, बुलडोजर, कुएँ की बोरिंग के उपकरण, थ्रेशर, कंबाइन आदि रखती हैं और अनुबंध के आधार पर किसानों के लिए कृषि कार्य करती हैं

Custom hiring Units managed by individuals, institutions or organizations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well-boring equipment, threshers, combines, etc., and undertake farm work for farmers on contract basis

- (xx) कृषक साथी योजना Krishak Sathi Yojana
- (xxi) क्षेत्र विकास योजनाएँ Area development schemes
- (xxii) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के उत्पादन के विपणन और निविष्टियों की आपूर्ति में विकेंद्रीकृत क्षेत्र की सहायता करने वाली संस्थाओं को ऋण. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के संबंध में "संस्थाओं" शब्द में वे संस्थान शामिल नहीं होंगे जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/ उनके कामकाज को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे के अंतर्गत ऋण वितरण की अनुमित नहीं है.

Loans to entities involved in assisting the decentralized sector in the supply of inputs and marketing of output of artisans, village and cottage industries. In respect of UCBs, the term "entities" shall not include institutions to which UCBs are not permitted to lend under the RBI guidelines / the legal framework governing their functioning

(xxiii) पूर्व-निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने वाले एफपीओ/ एफपीसी को प्रति उधारकर्ता इकाई ₹5 करोड़ तक का ऋण

Loans up to ₹5 crore per borrowing entity to FPOs/FPCs undertaking farming with assured marketing of their produce at a pre-determined price

(xxiv) बैंकिंग प्रणाली से कृषि आधारभूत संरचना हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई ₹100 करोड की कुल सीमा के अधीन हैं

Loans for agriculture infrastructure subject to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from the banking system

(xxv) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार, कृषि और संबद्ध सेवाओं में लगे स्टार्ट-अप को ₹50 करोड़ तक का ऋण





- Loans up to ₹50 crore to Start-ups, as per definition of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India that are engaged in agriculture and allied services
- बैंकिंग प्रणाली से खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण हेतु ऋण जो प्रति उधारकर्ता मंजूर की गई (xxvi) ₹100 करोड़ की कुल सीमा के अधीन हैं

Loans for Food and Agro-processing up to an aggregate sanctioned limit of ₹100 crore per borrower from the banking system

प्राथमिकता क्षेत्र मास्टर दिशानिर्देशों के अनुबंध III के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के (xxvii) तहत अनुमेय गतिविधियाँ

> Permissible Activities under Food Processing Sector as per Annexure III of Priority Sector Master Directions.

कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन में सहायता प्रदान करने वाली अन्य कोई गतिविधि (xxviii) जिसका उल्लेख ऊपर न किया हो .को भी शामिल किया जा सकता है.

> Any other activities not mentioned above may also be covered if it facilitates the promotion of agriculture and rural development.